पृष्ठांकन कमांक–179/2025 पन्ना, दिनांक–15.04.2025

प्रतिलिपिः–

01. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय पन्ना।
02. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय पन्ना।
03. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय पवई।
04. श्रीमती बिंदु पटेल, जे.एम.एफ.सी., पन्ना।
05. सुश्री इकरा मिन्हाज, जे.एम.एफ.सी., पन्ना।
06. श्री भूपेन्द्र सिंह, जे.एम.एफ.सी., पन्ना।
07. सुश्री श्वेता आर्य,जे.एम.एफ.सी., पन्ना।
08. सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी., पन्ना।
09. सुश्री उपमा भार्गव, जे.एम.एफ.सी. अजयगढ़,
10. श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी., पवई।
11. श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी., पवई।
12. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करें।
13. जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सचिव अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़।
15. रीडर, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ।
16. रीडर/सीजेएम/रिक्त न्यायालय, पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सत्र न्यायालय पन्ना।

**(रीतिका मिश्रा पाठक)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना
जिला–पन्ना (म.प्र.)

## न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना, जिला–पन्ना (म0प्र0)

**कमांक– /2024** **पन्ना, दिनांक–11.04.2024**

### नवीन आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

**मैं, रीतिका (मिश्रा) पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट पन्ना** म.प्र., **बीएनएसएस** की **धारा 12 एवं 13** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये पन्ना जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्यों के विभाजन संबंधी **पूर्व में किये गये समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुये** प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से पन्ना जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों के मध्य न्यायिक कार्यवाहियों के संपादन हेतु उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में कार्य विभाजन आदेश प्रसारित/जारी करती हूं। यह आदेश **लंबित कार्यों को प्रभावित किये बिना मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना के अनुमोदन पश्चात् आदेश प्राप्ति के समय से तत्काल प्रभाव से लागू होगाः–**

| क. | नाम | कार्य विभाजन |
|---|---|---|
| 1. | **श्री रीतिका (मिश्रा) पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना** | 1. आरक्षी केन्द्र **कोतवाली पन्ना, मड़ला, देवेन्द्रनगर एवं वन विभाग पन्ना** से उद्भूत **भारतीय दण्ड संहिता/ भारतीय न्याय संहिता 2023** के अंतर्गत संस्थित किये जाने वाले संबंधित समस्त **आपराधिक प्रकरण एवं पशु कूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकरण। **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य एवं मुख्यालय पन्ना के समस्त आरक्षी केन्द्र के ऐसे अन्य अपराधों को छोडकर जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं)**<br>2. आरक्षी केन्द्र **यातायात पन्ना तथा पन्ना** क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।<br>3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर, मड़ला एवं आबकारी वृत्त पन्ना से **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।<br>4. आरक्षी केन्द्र **कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर एवं मड़ला** के अंतर्गत उत्पन्न औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, दुकान एवं स्थापना अधिनियम तथा तेजाब फेंक कर क्षति कारित करने संबंधी प्रकरण एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।**<br>5. आरक्षी केन्द्र **कोतवाली पन्ना, मड़ला, देवेन्द्रनगर** के अंतर्गत उत्पन्न**(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** सिनेमाटोग्रॉफी एक्ट, नाप तौल अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, आयुध अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण।<br>6. **तहसील पन्ना, मड़ला, देवेन्द्रनगर** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले **नगरपालिका अधिनियम** के समस्त प्रकरण ।<br>7. **आरक्षी केन्द्र कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर एवं मड़ला** से संबंधित **खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन के प्रकरण** एवं **जिला पन्ना के समस्त खारिजी प्रतिवेदन** के प्रकरण।<br>8. साक्ष्य परीक्षण के लिये प्राप्त **कमीशन के निष्पादन तथा क्षमादान की कार्यवाही** ।<br>9. संपूर्ण पन्ना जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा–410 दंप्रसं/धारा–450 बीएनएसएस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।<br>10. संपूर्ण जिला पन्ना के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मैन्टल हैल्थ एक्ट 1987 के प्रावधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परिवाद पत्र।<br>11. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ।<br>12. आरक्षी केन्द्र **कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर एवं मड़ला** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं सी.जे.एम. द्वारा सुनवाई योग्य **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। |
| **2.** | **श्रीमति बिन्दु पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना** | 1. **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** से उद्भूत **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य एवं उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त ऐसे अपराधों को <u>छोडकर</u> जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं) भारतीय दण्ड संहिता एवं बी0एन0एस0**के अंतर्गत संस्थित किये जाने वाले संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. आरक्षी केन्द्र **अमानगंज** से उद्भूत म.प्र. **आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत **समस्त प्रकरण** सम्मिलित हैं।<br>3. आरक्षी केन्द्र **अमानगंज** के अंतर्गत उत्पन्न **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** आयुध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण।<br>4. आरक्षी **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के अन्तर्गत उत्पन्न **अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट** के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)**<br>5. आरक्षी केन्द्र **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के समस्त प्रकरण।<br>6. तहसील **अमानगंज** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले **नगरपालिका अधिनियम** के समस्त प्रकरण।<br>7. **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के समस्त **खात्मा** के अंतिम प्रतिवेदन ।<br>8. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>9. आरक्षी केन्द्र बृजपुर के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही संपादित करना।<br>10. **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ.सी. द्वारा सुनवाई योग्य **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। |
| 3. | **सुश्री इक़रा मिन्हाज़ न्यायिक मजिस्ट्रेट** | 1. मुख्यालय **जिला पन्ना** की सीमा क्षेत्र में लगने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत ऐसे समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य** |

| | | |
|---|---|---|
| | **प्रथम श्रेणी, पन्ना** | **प्रकरणों को छोड़कर)** एवं आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद हैं।<br>2. **आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं सलेहा** के अंतर्गत उत्पन्न सिनेमाटोग्रॉफी एक्ट, नापतौल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम औषधि प्रसाधन अधिनियम, आयुध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।**<br>3. आरक्षी **आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं सलेहा** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।**<br>4. आरक्षी केन्द्र **आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं सलेहा** के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के समस्त प्रकरण।<br>5. तहसील **सलेहा** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण।<br>6. **महिला थाना पन्ना एवं सलेहा** से उद्भूत म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **समस्त प्रकरण** एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संस्थित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं पशु कूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित प्रकरण, खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन एवं अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद–पत्र **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर)।**<br>7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>8. मुख्यालय पन्ना स्थित् समस्त आरक्षी केन्द्रों (नगरपालिका क्षेत्र पन्ना एवं तहसील पन्ना को छोड़कर) से उत्पन्न धारा 125 से 128 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं मुख्यालय पन्ना स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत |

| | | |
|---|---|---|
| | | **घरेलू हिंसा** से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं उससे व्युत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण।<br>9. **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>10. आरक्षी केन्द्र **महिला थाना पन्ना एवं सलेहा** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ.सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। |
| 4. | **श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना** | 1. **आरक्षी केन्द्र देवेन्द्रनगर, कोतवाली पन्ना** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>2. **आरक्षी केन्द्र अमानगंज** के अंतर्गत उत्पन्न **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** सिनेमाटोग्रॉफी एक्ट, नापतौल,न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम औषधि प्रसाधन अधिनियम।<br>3. **थाना कोतवाली पन्ना, मड़ला एवं थाना देवेन्द्रनगर** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले **धारा 138 परकाम्य लिखत** अधिनियम के समस्त प्रकरण। जिन मजिस्ट्रेटों का स्थानांतरण हो चुका है उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है, के द्वारा **निराकृत आपराधिक प्रकरण** एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित **निर्णय/आदेश** का परिपालन।<br>4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं |

| | | |
|---|---|---|
| | | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 5. | **सुश्री श्वेता आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना** | 1. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** से उद्भूत **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य एवं मुख्यालय पन्ना के समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न अपराधों को <u>छोडकर</u> जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं भारतीय दण्ड संहिता एवं बी0एन0एस0**के अंतर्गत संस्थित किये जाने वाले संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद।<br>2. **थाना गुनौर, कोतवाली पन्ना एवं थाना मड़ला** क्षेत्र से उत्पन्न परिवाद प्रकरण एवं पशु क्रूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>3. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** से उद्भूत **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत समस्त प्रकरण सम्मिलित हैं।<br>4. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** के अंतर्गत उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) सिनेमाटोग्रॉफी एक्ट, नापतौल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम औषधि प्रसाधन अधिनियम, आयुध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण।<br>5. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन. डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)**<br>6. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले **धारा 138 परकाम्य लिखत** अधिनियम के समस्त प्रकरण।<br>7. तहसील **गुनौर** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण।<br>8. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** के समस्त खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन<br>9. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>10. **आरक्षी केन्द्र सलेहा** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर |

| | | |
|---|---|---|
| | | संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>11. आरक्षी केन्द्र **गुनौर** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ. सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। |
| 6. | **सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना** | 1. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** से उद्भूत **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न ऐसे अन्य अपराधों को <u>छोडकर</u> जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं) भारतीय दण्ड संहिता एवं बी0एन0एस0**के अंतर्गत संस्थित किये जाने वाले संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। **थाना बृजपुर** अंतर्गत पशु कूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>2. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** से उद्भूत **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत समस्त प्रकरण सम्मिलित हैं। **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर)।**<br>3. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** के अंतर्गत उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) सिनेमाटोग्रॉफी एक्ट, नापतौल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम औषधि प्रसाधन अधिनियम, आयुध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण।<br>4. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन. डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)**<br>5. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत** अधिनियम के समस्त प्रकरण।<br>6. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** के समस्त खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन। **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर)।**<br>7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8. **आरक्षी केन्द्र मड़ला** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>9. आरक्षी केन्द्र **बृजपुर** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ. सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।<br>**10.** अतिरिक्त <u>थाना देवेन्द्रनगर क्षेत्र से उत्पन्न परिवाद</u> प्रकरण एवं पशु कूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 7. | **सुश्री उपमा भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अजयगढ** | 1. आरक्षी केन्द्र **अजयगढ़ एवं धरमपुर** से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)** एवं पशु कूरता निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।<br>2. तहसील **अजयगढ़ क्षेत्र** से उत्पन्न **बीएनएस की धारा कमशः 144–147** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं **घरेलू हिंसा** से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं उससे व्युत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराध और उनसे संबंधित परिवाद **विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)**<br>3. आरक्षी केन्द्र **अजयगढ़ एवं धरमपुर** से उद्भूत **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत समस्त प्रकरण सम्मिलित हैं।<br>4. आरक्षी केन्द्र **अजयगढ़ एवं धरमपुर** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले **धारा 138 परकाम्य लिखत** अधिनियमके समस्त प्रकरण। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. थाना **अजयगढ़ एवं धरमपुर** क्षेत्र से उत्पन्न वन विभाग, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण, औषधि प्रसाधन अधिनियम, नाप तोल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,आयुध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रकरण ।<br>6. आरक्षी केन्द्र **अजयगढ़ एवं धरमपुर** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ।<br>7. तहसील **अजयगढ़ क्षेत्र** से अंतर्गत उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अधिनियम के प्रकरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।<br>8. **अजयगढ एवं धरमपुर** थाना से संबंधित समस्त खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन।<br>9. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>10. **आरक्षी केन्द्र अजयगढ़ एवं धरमपुर** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत प्रस्तुत <u>स्मॉल क्वांटिटी से भिन्न</u> कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>11. आरक्षी केन्द्र **अजयगढ़ एवं धरमपुर** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ.सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है । |
| 8. | **श्री अमित कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई** | 1. आरक्षी **केन्द्र पवई, सुनवानी, शाहनगर, सिमरिया एवं वन विभाग** के अंतर्गत उद्भूत **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य एवं तहसील पवई के समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न ऐसे अन्य अपराधों को <u>छोडकर</u> जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं)** भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटर यान अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** से उद्भूत **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत **समस्त प्रकरण** सम्मिलित हैं।<br>3. आरक्षी **केन्द्र पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले औषधि प्रसाधन अधिनियम, आयुध अधिनियम, नाप तोल अधिनियम के प्रकरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।<br>4. आरक्षी केन्द्र **पवई, रैपुरा, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत** अधिनियम के समस्त प्रकरण।<br>5. आरक्षी **केन्द्र पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन.डी. पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** ।<br>6. आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** के समस्त खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन।<br>7. तहसील **पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका अधिनियम के प्रकरण।<br>8. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>9. आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, सिमरिया एवं शाहनगर** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ.सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है ।<br>10. **आरक्षी केन्द्र अजयगढ़ एवं धरमपुर** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत प्रस्तुत <u>स्मॉल क्वांटिटी</u> से संबंधित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।<br>11. **आरक्षी केन्द्र पवई, सुनवानी, शाहनगर, सिमरिया एवं वनविभाग** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के |

| | | |
|---|---|---|
| | | अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) के आवेदन का निराकरण करेंगे।<br>12. माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)43/2009/21–ब(एक) भोपाल दिनांक 30 सितंबर 2009 एवं 10 मार्च 2010 एवं अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 17(ई) 43/2009/21–ब(एक)/2721/2019 भोपाल दिनांक 22 मई 2019 के अनुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। |
| 9. | **श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज ग्राम न्यायाधिकारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई** | 1. आरक्षी केन्द्र **रैपुरा** से उद्भूत **(किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संस्थित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं पशु कूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित प्रकरण, खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन एवं अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण।<br>2 आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, सिमरिया, रैपुरा एवं शाहनगर** क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न धारा–125 से 128 दं0प्र0सं0 तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं **घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005** के समस्त प्रकरण एवं उनसे व्युत्पन्न अन्य विविध कार्यवाहियां एवं प्रकरण।<br>3. आरक्षी केन्द्र **रैपुरा** से उद्भूत **म.प्र. आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत समस्त प्रकरण सम्मिलित हैं।<br>4. आरक्षी केन्द्रों **सिमरिया, रैपुरा, पवई, सुनवानी एवं शाहनगर** से उद्भूत **ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किये जा सकते हैं (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद।<br>5. आरक्षी केन्द्र **रैपुरा** के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले औषधि प्रसाधन अधिनियम, आयुध अधिनियम, नाप तोल अधिनियम के प्रकरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं थाना सिमरिया, रैपुरा के समस्त खात्मा के अंतिम प्रतिवेदन। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6. आरक्षी केन्द्र **रैपुरा** के अन्तर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के एन.डी. पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण **(विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)** ।<br>7. आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, सिमरिया, रैपुरा एवं शाहनगर** क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न धारा–125 से 128 दं0प्र0सं0 तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं **घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005** के समस्त प्रकरण एवं उनसे व्युत्पन्न अन्य विविध कार्यवाहियां एवं प्रकरण।<br>8. तहसील **रैपुरा** के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका अधिनियम के प्रकरण।<br>9. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।<br>10. आरक्षी केन्द्र **पवई, सुनवानी, शाहनगर, सिमरिया एवं वन विभाग** के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में नव निर्मित नियम के अनुसार धारा–52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा–52(क) के आवेदन का निराकरण करेंगे।<br>11. आरक्षी केन्द्र **रैपुरा** के अन्तर्गत उत्पन्न एवं जे.एम.एफ. सी. द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवायी योग्य प्रकरणों को **छोड़कर**) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है। |

**(10)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना, पवई एवं अजयगढ़ अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना की पूर्व अनुमति से चलित न्यायालय का संपादन कर सकेंगे किन्तु उसके कारण नियमित न्यायालयीन कार्य स्थगित नहीं किया जायेगा। (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना, मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की पूर्व अनुमति से चलित न्यायालय का संपादन कर सकेंगे)

**(11)** सारणी में दर्शाये गये आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत **धारा–164 दं0प्र0सं0/बीएनएस की धारा–183** के कथन एवं संस्वीकृतियों का अभिलेखन उनके समक्ष दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे एवं इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के निर्देशानुसार कथन एवं संस्वीकृतियों का अभिलेखन करेंगे।

| कमांक | न्यायिक अधिकारी | आरक्षी केन्द्र |
|---|---|---|
| 01. | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे0एम0एफ0सी0 पन्ना | **कोतवाली पन्ना** से उत्पन्न समस्त प्रकार के मामलों में **धारा–164 दं0प्र0सं0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना। |
| 02. | सुश्री भूपेन्द्र सिंह<br>जे0एम0एफ0सी0 पन्ना | **अमानगंज, बृजपुर** से उत्पन्न समस्त प्रकार के मामलों में **धारा–164 दं0प्र0सं0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना एवं आरक्षी केन्द्र **गुनौर से उत्पन्न समस्त पीड़ित/आहत महिलाओं से संबंधित समस्त ऐसे मामलों में कथन लेख करना है जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य हैं।** |
| 03. | श्री श्वेता आर्य<br>जे0एम0एफ0सी0 पन्ना | **आरक्षी केन्द्र अजाक, सलेहा एवं महिला थाना पन्ना** से उत्पन्न समस्त प्रकार के मामलों में **धारा–164 दं0प्र0सं0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना एवं **आरक्षी केन्द्र अजयगढ़ एवं धरमपुर** से उत्पन्न समस्त पीड़ित/आहत महिलाओं से संबंधित समस्त प्रकार के मामलों में कथन लेख करना। **(प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य समस्त मामलों में)** |
| 04. | सुश्री इकरा मिन्हाज<br>जे0एम0एफ0सी0 पन्ना | **आरक्षी केन्द्र गुनौर** से उत्पन्न मामलों में **धारा–164 दं0प्र0सं0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना **(पीड़ित/आहत महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य मामलों को छोड़कर, सेशन टॉयल एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामलों में कथन लेख करना)** |
| 03. | श्री तनिष्का वैष्णव<br>जे0एम0एफ0सी0 पन्ना | **देवेन्द्रनगर एवं मड़ला से उत्पन्न समस्त प्रकार के मामलों में धारा–164 दं0प्र0स0 (बीएनएस की धारा–183) का कथन लेख करना।** |
| 05. | श्री अमित कुमार शर्मा,<br>जे0एम0एफ0सी0 पवई | **आरक्षी केन्द्र पवई, सुनवानी, शाहनगर, सिमरिया एवं रैपुरा** से उत्पन्न समस्त पीड़ित/आहत महिलाओं से संबंधित समस्त प्रकार के मामलों में कथन लेख करना। **(प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य समस्त मामलों में)** |
| 06. | श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज<br>जे0एम0एफ0सी0 पवई | **आरक्षी केन्द्र पवई, सुनवानी, शाहनगर, सिमरिया एवं रैपुरा** से उत्पन्न मामलों में **धारा–164 दं0प्र0स0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना |

| | | |
|---|---|---|
| | | **(पीड़ित/आहत महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य मामलों को छोड़कर, सेशन ट्रॉयल एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामलों में कथन लेख करना)** |
| 07. | सुश्री उपमा भार्गव<br>जे0एम0एफ0सी0 अजयगढ़ | **आरक्षी केन्द्र अजयगढ़ एवं धरमपुर** से उत्पन्न मामलों में **धारा–164 दं0प्र0स0 (बीएनएस की धारा–183)** का कथन लेख करना **(पीड़ित/आहत महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य मामलों को छोडकर, सेशन ट्रॉयल एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामलों में कथन लेख करना)** |

**नोटः– धारा–164 दं0प्र0सं0 (बीएनएस की धारा–183) के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां लेखबद्ध करने वाले अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थित होने पर स्थापना में उपस्थित ऐसे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट कथन एवं संस्वीकृतियां लेखबद्ध करेंगे जिन्हें वह आरक्षी केन्द्र आवंटित न किया गया हो।**

**(12)** न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में कालम नंबर 01 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक कार्य कालम नंबर 02 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, व कालम नंबर 02 मे दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कालम नंबर 03 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कालम नंबर 03 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कालम नंबर 04 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा तथा कॉलम नंबर 1, 2, 3 एवं 4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक साथ अवकाश पर रहने पर मुख्यालय पन्ना में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगाः–

| क. | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 01. | श्रीमति रीतिका (मिश्रा) पाठक,<br>सी0जे0एम0 पन्ना | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | सुश्री इकरा मिन्हाज<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री भूपेन्द्र सिंह<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 02. | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री भूपेन्द्र सिंह<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | सुश्री श्वेता आर्य<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री तनिष्का वैष्णव<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 03. | सुश्री इकरा मिन्हाज<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री भूपेन्द्र सिंह<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री श्वेता आर्य,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 04. | सुश्री भूपेन्द्र सिंह,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री तनिष्का वैष्णव<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | सुश्री श्वेता आर्य<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री इकरा मिन्हाज,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 05. | सुश्री श्वेता आर्य<br>जे.एम.एफ.सी. | सुश्री तनिष्का वैष्णव<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री इकरा मिन्हाज,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पन्ना | | | पन्ना |
| 06. | सुश्री तनिष्का वैष्णव<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री श्वेता आर्य<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री इकरा मिन्हाज,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री बिन्दु पटेल,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 07. | सुश्री उपमा भार्गव,<br>जे.एम.एफ.सी.<br>अजयगढ़ | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | सुश्री इकरा मिन्हाज<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | श्री भूपेन्द्र सिंह,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |
| 08. | श्री अमित कुमार शर्मा<br>जे.एम.एफ.सी. पवई | श्रीमती हिमांशी ठाकुर<br>भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी.<br>पवई | श्रीमति बिन्दु पटेल<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना | सुश्री इकरा मिन्हाज,<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना |
| 09. | श्रीमती हिमांशी ठाकुर,<br>जे.एम.एफ.सी. पवई | श्री अमित कुमार शर्मा,<br>जे.एम.एफ.सी. पवई | श्रीमति बिन्दु पटेल,<br>जे.एम.एफ.सी.<br>पन्ना | सुश्री इकरा मिन्हाज,<br>जे.एम.एफ.सी. पन्ना |

**(13)** उपर्युक्त कंडिका के कालम नंबर 01 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे संक्षिप्त विचारण योग्य प्रकरणों का संज्ञान लेकर उनका निराकरण कर सकेंगे जिनमें कि आरोपी अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहता है या स्वीकारोक्ति करता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों का पंजीयन भी आवश्यक कार्य संपादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय के नाम से होगा तथा समझा जावेगा कि संबंधित प्रकरण उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उद्‌भूत हुआ है।

**(14)** किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं सुनवाई योग्य प्रकरणों का निराकरण संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

**(15)** **मुख्यालय पन्ना** की सीमा में लगने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके अवकाश की अवधि में उनके न्यायालय में लंबित समन योग्य प्रकरण में समन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर उसका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

**(16)** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में अथवा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय से संबंधित न्यायिक आवश्यक कार्य तथा रिमाण्ड, जमानत की तस्दीक, सुपुर्दनामा की सुनवाई आदि उस न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा जिन्हें आवश्यक कार्य करने का प्रभार सौंपा गया है।

**(17)** समस्त मजिस्ट्रेटगण जेल में निरूद्ध बंदियों की उपस्थिति व्ही.सी. के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा आरोपी के वारंट पर निम्न आशय टीप अंकित करेंगेः–

*''आरोपी को आगामी दिनांक.....को व्ही.सी. के माध्यस से पेश किया जावे।''*

.....

**हस्ताक्षर–**

**(18)** दंप्रसं. की धारा 176 (1–क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच प्रथमतः जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, द्वितीयतः जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में मृत्यु हुई है तृतीयतः जिसको <u>इस हेतु अधिकृत</u> किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।

**(19)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना उनके नाम के समक्ष अंकित तत्कालीन मजिस्ट्रेटों की न्यायालयों से संबंधित कार्य–गैर म्यादी गिरफ्तारी वारण्ट, जुर्माना वापसी एवं अन्य कार्य का नियमानुसार निष्पादन करेंगे:–

| कमांक | मजिस्ट्रेट के नाम | नाम तत्कालीन मजिस्ट्रेट |
|---|---|---|
| 01. | श्रीमति इकरा मिन्हाज, जे.एम.एफ.सी.,पन्ना | (1) सुश्री मंजुलता चतुर्वेदी (2) श्री संजय पाण्डेय (3) श्री संजीव कुमार जैन (4) श्री आर0आर0भारतीय (5) श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (6) श्री शिवराज सिंह गवली एवं अपने पूर्व के न्यायालय से संबंधित। |
| 02. | सुश्री बिन्दु पटेल, जे.एम.एफ.सी., पन्ना | (1) श्री बृजेश सिंह,(2) सुश्री सविता जड़िया (3)श्रीएस0पी0एस0 बुन्देला (4)श्री रवि नायक (5) श्री कमलेश कुमार कोल (6) श्री मोहित बड़के एवं अन्य ऐसे न्यायिक मजि0 जिनके उत्तरवर्ती कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है। |
| 03. | सुश्री श्वेता आर्य, जे.एम.एफ.सी.,पन्ना | (1) श्री ए0के0मंसूरी (2) श्रीमती वंदना सिंह (3) श्री पंकज जायसवाल (4) श्री डी0के0खटीक (5) श्रीमती मेघा पुरोहित (6) श्रीमति निधि शाक्यवार एवं अपने पूर्व के न्यायालय से संबंधित। |
| 04. | सुश्री भूपेन्द्र सिंह, जे.एम.एफ.सी. पन्ना | (1) श्री महेश लचौरिया (2)सुश्री सुषमा उपम्मन (3) श्री ए.के.पाण्डेय (4) श्रीमती मीना शाह (5) श्री प्रीतम शाह एवं अपने पूर्व के न्यायालय से संबंधित |
| 05. | सुश्री तनिष्का वैष्णव | उनकी न्यायालय के समस्त पूर्ववर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय से संबंधित |

04/25

रीतिका (मिश्रा) पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना
जिला–पन्ना,म0प्र0

**माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ**

अनुमोदित
12/04/2025
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म.प्र.)